

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933

No. 575]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 193;

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2011

का.आ. 690(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जाही की गई, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं का.आ. 1399(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 के 0.000 कि.मी. से 504.400 कि.मी. (नागापिटनम-थनजावर-त्रिची-करूर-कोयम्बटूर-मीटूपलायम-तिमलनाडु/कर्नाटक बोर्डर सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67, थनजावर-त्रिची सेक्शन के 80.000 कि.मी. से 135.750 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 80.000 कि.मी. से 136.490 कि.मी.) तक के तिमलनाडु राज्य में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विकास के लिए, निर्माण, प्रचालन और स्थानान्तरण (बी.ओ.टी) आधार पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, संरचना, वित्त, संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स त्रिची-थनजावर एक्सप्रेसवे लिमिटिड; जिसका रिजस्ट्रीकृत कार्यालय मधुकोन हाउस, प्लॉट सं. 1129/ए, रोड नम्बर-36, हाईटेक सिटी रोड, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार तारीख 15 जून, 2006 और अनुपूरक करार तारीख 10 दिसम्बर, 2010 को किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वितत व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए इससे उपाबद्ध सारणी के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

1232 GI/2011

सारणी

| क्रं सं. | यानों का प्रवर्ग | आधार फीस प्रति कि.मी. प्रति यान प्रति फेरा की दर (रूपये में) |
|----------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कार,यात्री वैन और जीप | 0.40 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी) | 0.70 |
| 3. | ट्रक या बस | 1.40 |
| 4. | बहुधुरीय यान(>दो धुरीय), अर्थ मूर्विग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी | 2.25 |

टिप्पण:-

- 1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-
- (i) वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;
 - (क) विनिर्दिष्ट परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और
 - (ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्व और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।
- (ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन , स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन का चार लेन पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।
- (iii) कार / जीप वैन के लिए संदेय फीस के संबंध में स्थानीय यातायात से तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार के यातायात से है
- (i) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित है
 - (1) ग्रामों/करबों/शहरों के निवासी जिसकी सीमा संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के घेरे के भीतर आती है !
 - (2) संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापनों या औधोगिक इकाई ।
 - (3) ऐसे स्थापनों औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारी, जो संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय स्थित है; और

- (4) स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका काम करने का स्थान संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित है।
- (ii). "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II " में निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं
 - (1) ग्रामों/करबों/शहर के निवासी जिसकी सीमा संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर आती है;
 - (2) संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन / औद्योगिक ईकाईया :
 - (3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक ईकाइयों के कर्मचारी जो संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु से बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है; और
 - (4) स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका काम करने का स्थान संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित है।
- (iv) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।
- (v) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त सेक्शन की बाबत् प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए उक्त करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं।
- 2. फीस की वास्तविक दर निम्नानुसार संगणित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से पुनरीक्षित की जाएगी :-

आधार फीस X <u>डब्लयू पी आई-बी</u> X उक्त खंड की लम्बाई डब्लयू पी आई-ए

जहां

- डब्लयू पी आई-ए = जून 1997 (131.4) को विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है ।
- डब्लयू पी आई-बी = पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है।
- डब्लयू पी आई से कार्यालय आर्थिक सलाहकार, वाणिजय और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।

- 3. फीस केवल पथकर 120.900 कि.मी. प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी।
- 4. जब एक ही यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में, पथकर बूथ को पार करते समय उपरोक्त सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे और जहां किसी यांत्रिक यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास या उसके पश्चात् में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुना के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए दिन से 24 घंटे की निरन्तर अवधि समझा जाएगा।

- 5. उक्त सम्पूर्ण खंड को चार लेन का बनाए जाने तक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार उक्त खंड के 80.000 कि.मी. से 128.48 कि.मी. के लगातार हिस्से को चार लेन का बनाने का काम पूरा कर लेने के पश्चात्, रियायतग्राही उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाने तथा शुल्क संग्रहण का काम प्रारम्भ कर सकेगा; और यदि रियायतग्राही निर्माण की नियत अवधि जो कि तारीख 12.11.2011 है तक सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना को पूरा करने मे विफल रहता है तो उक्त करार के अनुसार शुल्क संबंधी अधिसूचना को तत्काल अनाधिसूचित कर दिया जायेगा और सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 6. परंतु निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात्:-
 - (i) ऐसे यान
 - (अ) जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
 - (क) भारत के राष्ट्रपति;
 - (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
 - (ग) राज्य के राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
 - (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 - (इ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
 - (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या
 - (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

- (ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्ठि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।
- 7. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्निलिखित छूट दरों से अधिक फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्ः
 - (क) कार/जीप/वैन के लिए
 - (i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1: 150.00 रूपये का मासिक पास ;
 - (ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2: 300.00 रूपये का मासिक पास ;
 - (ख) हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक : (स्थानीय परिवहन प्रचालक)

स्थानीय परिवहन प्रचालकों को बीस कि.मी. के भीतर उन्हें चलानें का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये पच्चीस रूपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये पन्द्रह रूपये दर पर रियायत फीस दी जाएगी।

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा नि: शुल्क उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यानों से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत तभी करेगा यदि वे चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते है।

- 8. जब कभी कोई सर्विस लेन बनाई जाती है तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोगकर्ताओं से शुल्क संग्रहण नहीं करेगा।
- 9. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी में नहीं आते है।
- 10. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख सहित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले इस अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित करेगा।

1232 9711-2

- 11. रियायतम्माही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और रियायतग्राही तथा उक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण, सड़क उपयोक्ताओं को असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है और उससे संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- 12. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जामी है, पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर सहज रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके।
- 13. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए भेजी जाएगी तािक प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अविध के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/511/09-10/सी ओ/जीसी थनजावर (80.000-135.750) बी.ओ.टी] बी. बी. महापात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2011

S.O. 690(E).—Whereas, the Central Government, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1399 (E), dated the 27th September, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government has entrusted, the stretch from Km 0.000 to Km 504.400 (Nagapatinam – Thanjavur – Trichy – Karur – Coimbatore – Mettupalayam – Tamil Nadu/Karnataka Border section) of National Highway no. 67 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement dated the 15th June, 2006 and supplementary agreement dated the 10th December, 2010 with M/s Trichy – Thanjavur Expressways Limited, having its registered office at Madhucon

House, Plot No. 1129/A, Road No 36, Hitec City Road, Jubilee Hills, Hyderabad 500033 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for Design, Engineering, Finance, Construction, Operation and Maintenance of Thanjavur - Trichy section from Km 80.000 - Km 135.750 (design chainage from Km 80.000 - Km 136.490) of National Highway No. 67 in the State of Tamil Nadu (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Table (hereinafter referred to as the said Table), on the categories of vehicles specified in column (2) of the said Table, for the use of the said section, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

TABLE

| S. No. | Categories of vehicles. | Base rate of fee per vehicle per one way trip per Km (in rupees). |
|--------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Car, passenger van or jeep | 0.40 |
| 2. | Light Commercial Vehicle (LCV) | 0.70 |
| 3. | Truck or bus | 1.40 |
| 4. | Multi Axle Vehicle (>2 axle), earth moving equipment or heavy construction machinery. | 2.25 |

Notes:-

- 1. For the purposes of this notification,-
- (i) "actual fee" means the fee actually charged from the road users of the said section on the basis of,-
 - (i) length of the project highway, and
 - (ii) base rate given in the said Table duly indexed, and shall be rounded off to the nearest one rupee.

- (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section or part thereof begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter referred to as the said agreement);
- (iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van,
 - (i) "Local Traffic" category I" means and includes users falling into any of the following categories:-
 - (1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (2) establishments industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (3) employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
 - (4) self employed persons/businessmen having place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (b) "Local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories:-
 - (1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (2) establishments/industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (3) employees of establishments/ industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
 - (4) self employed persons/businessmen having place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
- (iv) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the said agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows:-

WPI-B Base Fee X X length of the said section. WPI-A

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.
- 3. The fee shall be collected at the fee plaza only, situated at Km 120.900.
- 4. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as specified in column (3) of the said Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or even beyond that, then the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in column (3) of the said Table.

Explanation.- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

- 5. The Concessionaire may commence collecting fees from the users after completion of four laning of continuous stretch from Km 80.000 to Km 128.48 out of the said section, as certified by the Independent Consultant until the whole of said section is four laned; and in case the Concessionaire defaults in completing the entire project highway within the stipulated construction period i.e. 12.11.2011, the fee notification shall be de-notified immediately in accordance with the said agreement and fresh notification shall be issued only after completion of the entire project highway.
- 6. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
 - (i) Vehicles-
 - (A) having VIP symbols or officially belonging to -
- (a) the President of India;

- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, Chairman of a State Legislative Council, Speaker of a State Legislature Assembly, a Minister for the Union or State, Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
- (g) a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to awardees of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the appropriative or competent authority for such award;
- (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
- (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
- 7. Concessionaire shall not collect fees from Local Traffic in the excess of the following discounted rate:-
 - (a) Car/Jeep/Van:
 - i) Local Traffic Category I: Monthly pass of Rs 150.00;
 - ii) Local Traffic Category II: Monthly pass of Rs 300.00;
 - (b) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee may be taken from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall collect fee from such local traffic only, if they use the four lane National Highway.

- 8. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.
- 9. No fee shall be collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the said Table.
- 10. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.
- 11. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rates and the fees colleted is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.
- 12. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.
- 13. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/511/09-10/CO/G C Thanjavur (80.000-135.750) BOT]
B. B. MOHAPATRA, Director

